न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/50/2025	2025/227	03-06-2025	25-08-2025

1—बने सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह, जाति गुर्जर, उम्र करीब .. साल, निवारी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज०

—अपीलान्ट

बनाम

1—अकबरी पत्नि शादी पुत्रवधु अर्जुन जाति मेव निवारी ग्राम कालाखेड़ा तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नुँह मेवात प्रांत हरियाणा, हाल निवारी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर

2—जमशीदा पुत्री शादी पौत्री अर्जुन, पत्नि श्योराम, जाति मेव, निवारी ग्राम पाडला शाहपुर तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नुँह मेवात प्रांत हरियाणा, हाल निवारी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर

3—तहसीलदार रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज०

4—नब्बा पुत्र अर्जुन जाति मेव निवारी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर राज० मृतक

4/1—जरूरबी पत्नि स्व० नब्बा उम्र करीब 70 साल,

4/2—इस्लाम पुत्र स्व० नब्बा उम्र करीब 55 साल,

4/3—खुर्शद पुत्र स्व० नब्बा उम्र करीब 52 साल,

4/4—खुशीमल पुत्र स्व० नब्बा उम्र करीब 50 साल,

4/5—सम्मल उर्फ समयदीन पुत्र स्व० नब्बा उम्र करीब 45 साल,

4/6—जफी उर्फ जफरीना पत्नि स्व० कमरू पुत्रवधु स्व० नब्बा उम्र करीब 50 साल

4/7—अस्मीना पुत्री स्व० कमरू पौत्री स्व० नब्बा आयु करीब 21 साल,

4/8—राहुनी पुत्री स्व० कमरू पौत्री स्व० नब्बा आयु करीब 19 साल,

4/9—जलसाना पुत्री स्व० कमरू पौत्री स्व० नब्बा आयु करीब 17 साल,

4/10—रिजवा पुत्री स्व० कमरू पौत्री स्व० नब्बा आयु करीब 15 साल,

4/9 व 4/10 नाबालिगान जरिये सरपरस्त माताखुद जफी उर्फ जफरीना

4/11— इस्लामी पुत्री स्व० नब्बा आयु करीब 40 साल,

4/12— खुर्शीदन पुत्री स्व० नब्बा, आयु करीब ...साल, जातियान मेव निवासीयान ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर

5—मकूली पुत्री अर्जुन जाति मेव निवारी ग्राम नांगल तहसील व जिला अलवर राज०

6—नल्ली पुत्री अर्जन, जाति मेव, निवारी ग्राम भजीट तहसील अलवर जिला अलवर राज0

7—हुरसो पुत्री अर्जुन जाति मेव निवारी ग्राम भजीट तहसील व जिला रेस्पाडेन्टान अलवर राज०

—रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपील विरूद्ध इंतकाल नंबर 180 वाके ग्राम सरहेटा निर्णय दिनांक 09.05.2016 तहसीलदार रामगढ़

उपस्थितः–

01–लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील अपीलान्ट

03–वीरेन्द्र तायल –वकील रेसपोडेन्ट संख्या 1 लगा0 2

02–आस मौहम्मद खान –वकील रेसपोडेन्ट संख्या 4 लगा0 7

–:निर्णय:–

वकील अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 09.05.2016 नामन्तकरण संख्या 180 स्वीकार किया गया से व्यतिथ होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ (अलवर) के निर्णय दिनांक 09–05–2016 की अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी 26–10–2016 को हुई पटवारी हल्का के माध्यम से हुई। जिस पर अपीलाण्ट दिनांक 27–10–2016 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ में जाकर जानकारी की तो मालूम हुआ कि दिनांक 09–05–2016 को तहसीलदार रामगढ द्वारा निर्णय पारित किया गया है जिस पर नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 27–10–2016 को पेश किया और नकल प्राप्त की जिसे अपने वकील साहब को दिखाया तो उन्होने कहा कि अपील करनी पडेगी जिस पर खर्चे का इंतजाम किया और अपील तैयार कराकर आज बिना देरी के निर्णय की जानकारी की तारीख से अपील अंदर अवधि पेश की जा रही है दिनांक 09–05–2016 से दिनांक 26–10–2016 तक का समय अपीलाण्ट को निर्णय की जानकारी नही होन के कारण व्यतीत हुआ है जो कि नेकनियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा म्याद में मुजरा दिए जाने योग्य है जिस हेतू प्रार्थना पत्र दफा 05 म्याद कानूनी अलग से पेश है ।

नामांतकरण संख्या 180 में दर्ज खाता नंबर 49 में अंकित आराजी साबिक खसरा नंबर 31 रकबा 16 बिस्वा जिसका हाल खसरा नंबर 39 रकबा 0.20 हैक्टर है, का 1/3 हिस्सा रैस्पाडैण्ट नब्बा पुत्र अर्जुन मेव से अपीलाण्ट ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 04–05–1989 प्रतिफल अदा कर क्रय किया था और कब्जा प्राप्त किया था जिस पर बरोज खरीद से अपीलाण्ट आज तक विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। अपीलाण्ट के नाम बयनामा के आधार पर नामांतकरण संख्या 232 दिनांक 31–05–1989 को स्वीकार होकर जमाबंदी वगैराह में भी अपीलाण्ट के नाम खातेदारी का अंकन आ गया है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071–2074 में भी बनेसिंह अपीलाण्ट के नाम खातेदारी का अंकन है । उपरोक्तानुसार अपीलाण्ट विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 39 रकबा 0.20 हैक्टर के 1/3 हिस्से का बोनाफाईड परचेजर व काबिज काश्तकार है और उसका नाम बयनामा के वाद बनी समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दियो आदि में खातेदार की हैसियत से चला आने एवं मौके पर काविज होने के कारण प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति है जिसकी ओर से यह अपील पेश की जा रही है। जिसकी इजाजत के लिए दफा 96 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रैस्पाडैण्ट अकबरी व जमशीदा ने रैस्पाडैण्ट नब्बा आदि के खिलाफ ग्राम पंचायत खिलौरा दिनांक 25–08–1984 इंतकाल नंबर 180 के खिलाफ एक अपील उप खण्ड अधिकारी रामगढ के समक्ष पेश की थी कि जिस अपील का

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

निर्णय दिनांक 03-05-2012 को किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ को पुनः सुनवाई के लिए रिमाण्ड किया गया था जिस पर तहसीलदार द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 09-05-2016 को पारित कर उपरोक्तानुसार आदेश गलत व बेजा तौर पर पारित किया गया है कि जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है जो कि निम्न आधारो पर स्वीकार होने तथा निर्णय तहत अदालत अपास्त होने योग्य है यहकि आलोच्य निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ विधि विरूद्ध, बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिए न्यायिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है ।

विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 31 रकबा 16 बिस्वा हाल खसरा नंबर 39 रकबा 0.20 हैक्टर वाके ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ के 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त दिनांक 04-05-89 से अपीलाण्ट का चला आ रहा है और आज तक के समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वगैराह में अपीलाण्ट का नाम खातेदार काश्तकार की हैसियत से चला आ रहा है। वर्तमान जमाबन्दी में भी अपीलाण्ट के नाम खातेदारी का अमल हो रहा है और इसी अनुसार मौके पर अपीलाण्ट काबिज रहकर कार्य काश्त कर रहा है जिसको अरसा करीब 38 साल हो चुका है। इतने पुराने इंतकाल की अपील से समाप्त किए जाने का कोई कानूनी प्रावधान भी नही है। 38 साल के खातेदारी काश्तकारी कब्जेदारी के राजस्व रिकार्ड को चैलेंज भी नही किया गया है। ऐसी सूरत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाने योग्य है, स्वीकार फरमाई जावे ।

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी साबिक व वर्तमान में अपीलाण्ट के नाम का खातेदारी का अमल चला आ रहा है। उसके बावजूद भी रैस्पाडैण्ट संख्या एक दो ने कार्यवाही नामांतकरण तहसीलदार रामगढ में अपीलाण्ट को पक्षकार नही बनाया और अधिनस्थ न्यायालय ने भी राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नही करते हुए अपीलाण्ट को पक्षकार बनाने के आदेश नही दिए और नाही अपीलाण्ट को नोटिस देकर सुनवाई के लिए बुलवाया, जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसार जमाबन्दी वगैराह में अपीलाण्ट के नाम का अंकन खातेदार की हैसियत से अंकित है और जो इन्द्राज दिनांक 04-05-1989 से चला आ रहा है उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिए यह आलोच्य निर्णय पारित कर दिया जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना है और ऐसा आदेश विधिक प्रक्रिया के खिलाफ एवं मौका व कब्जे एवं गत रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है, निरस्त फरमाया जावे ।

अपीलाण्ट नेकनियत से बहैसियत केता काबिज कृषक खातेदार करीब 38 साल से विवादित भूमि पर कार्य काश्त कर रहा है। जिसके खरीद के बयनामें व उसके आधार पर हुए इंतकाल खातेदारी एवं जमाबन्दी के अंकन को निरस्त करने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो थी और नाही अधिनस्थ न्यायालय को उसे निरस्त करने का आधार किसी कानूनी प्रावधान में है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बकदर खसरा नंबर हाल 39 रकबा 0.20 हैक्टर का 1/3 हिस्सा मकबूजा अपीलाण्ट निरस्त किए जाने योग्य है निरस्त किया जावे ।

नब्बा रैस्पाडैण्ट से अपीलाण्ट ने विवादित आराजी जरे प्रतिफल देकर क्रय की और उस बयनामा का नियमानुसार इंतकाल संख्या 232 स्वीकार होकर खातेदारी का अमल राजस्व रिकार्ड में आ गया जिसको अर्सा करीब 38 साल हो गए। इतनी लम्बी अवधि के उपरांत बिना बयनामा को चैलेंज किए नब्बा रैस्पाडैण्ट के बेचने के अधिकार की बाबत कोई नब्बा रैस्पाडैण्ट का हकीकी आपत्ति करता है या अपील आदि करता है तो उसका यदि हक होता है तो वह नब्बा रैस्पाडैण्ट की अन्य सम्पत्ति से दिलाया जा सकता है ।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

रैस्पाडैण्ट असल अकबरी व जमशीदा को बिना अपीलाण्ट को पक्षकार बनाए कार्यवाही नामांतकरण करने का भी अधिकार नही था इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय नुक्स अदम इस्तमेमाल में खारिज किए जाने योग्य है जिसे अब खारिज फरमाया जावे

अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 09—05—2016 तहसीलदार रामगढ़ (अलवर) बाबत प्रकरण संख्या 44/2016 बाबत आराजी खसरा नंबर हाल 39 रकबा 0.20 हैक्टर जो साबिक खसरा नंबर 31 रकबा 16 बिस्वा से बना है, वाके ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ़ का 1/3 हिस्से मकबूजा अपीलाण्ट की सीमा तक मंसूख फरमाया जावे और जो अंकन विवादित खसरा नंबर हाल 39 रकबा 0.20 हैक्टर का 1/3 हिस्से व नोट जमाबन्दी वर्तमान संवत 2071 से 2074 ग्राम सरहेटा की में अपीलाण्ट के खाता संख्या 71 में लाल स्याही से विशेष खाना में लगाया गया है, उसे कलमजन करने के आदेश तहसीलदार रामगढ़ के नाम जारी फरमाया जावे । अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में विभिन्न न्यायालयों के पारित नजीरे DNJ2025(1)Revenue page no 599, RRT2012(1)page no 374, RRD1984 page no 3(A) पेश किया गया।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के विद्वान वकील ने अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में बहस में कथन किया गया कि ग्राम पंचायत खिलोरा में दिनांक 25.08.1984 इंतकाल संख्या 180 रेस्पोडेण्ट नब्बा के विरूद्ध एक अपील उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के समक्ष पेश की गई जिस अपील का निर्णय दिनांक 03.05.2012 को किया जाकर तहसीलदार रामगढ़ को पुनः सुनवाई के लिए रिमाइंड किया गया था। तहसीलदार द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 09.05.2016 को नामान्तकरण संख्या 180 पर शजरे में मात्र नब्बा को ही मृतक अर्जुन का वारिस दर्ज किया गया है जो गलत प्रतीत होता है। नामांतकरण संख्या 180 पर मृतक अर्जुन के समस्त वारिसान नब्बा पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/5, मकूली, नब्बी और हुस्सो पुत्रियान अर्जुन 3/5 व अकबरी पत्नी शादी व जमशीदा पुत्री शादी समभाग 1/5 के नाम अंकन किये जाने के आदेश पारित किये गये जो मृतक अर्जुन के समस्त वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाने के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेण्ट नब्बा ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आराजी खसरा नंबर 31 रकबा 16 बिस्वा हाल खसरा नंबर 39 रकबा 20 है0 का 1/3 हिस्सा अपीलाण्ट को गलत बेचान किया गया है। इसीलिये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर विचार किया गया। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट को तहत अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेन्ट नब्बा पुत्र अर्जुन से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 04.05.1989 को विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 39 रकबा 0.20 है0 का 1/3 हिस्सा क्रय किया गया। इंतकालाधीन आराजी से रेस्पोडेन्ट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आलोच्य नामांतकरण से अपीलाण्ट के हक—हकूक प्रभावित होते है। उक्त इंतकालाधीन आराजी में अपीलाण्ट के हित निहित है। इसीलिये अपीलाण्ट को न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को बिना सुने ही उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाण्ट के उपरोक्त कथन न्यायोचित प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है एवं इसके बाद प्रार्थना पत्र दफा 05 कानूनी मियाद पर विचार किया गया। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2016 को पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 26.10.2016 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई जिस पर अपीलाण्ट ने दिनांक 27.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ में जाकर दिनांक 09.05.2016 को पारित निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया गया जिसकी नकल दिनांक 27.10.2016 का प्राप्त कर वकील साहब को दिखाया तो उन्होनें अपील पेश करने हेतु कहा गया। अपीलाण्ट ने बिना देरी के निर्णय की जानकारी तारीख से अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

दिनांक 09.05.2016 से दिनांक 26.10.2016 तक समय अपीलाण्ट नेकनियति युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने पर काबिल माफी तथा मुजरा दिये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के द्वारा लगभग पांच माह के विलंब से न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है परन्तु अपीलाण्ट का अपील में हित निहित होने पर एवं माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णयों में मियाद के बिन्दु पर गौर न किया जाकर मूल अपील में वर्णित तथ्यों के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टांतों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलंब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलाण्ट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 09.05.2016 के द्वारा प्रकरण संख्या 44/2016 का प्रचलन को स्थगित फरमाया जाकर असल रेस्पोडेन्ट को पावंद फरमाया जावे कि विवादित हाल आराजी खसरा नंबर 39 रकबा 20 है0 वाके ग्राम सरेहटा तहसील रामगढ़ के 1/3 हिस्सा को किसी कदर बेदखल कर कब्जा न करे क्योकि उक्त विवादित आराजी खातेदार नब्बा से जरिये बयनामा दिनांक 04.05.1989 को प्रतिफल अदा कर क्रय की गई है। तब से आदिनांक तक उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट का नाम दर्ज है एवं तब से उक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हूं।

ग्राम पंचायत खिलोरा ने मृतक अर्जुन के वारिसान का नामांतकरण संख्या 180 दिनांक 25.08.1984 को नब्बा पुत्र अर्जुन के पक्ष में तस्दीक किया गया जिसमें ग्राम पंचायत खिलोरा द्वारा मृतक अर्जुन के विधिवत वारिसान की जांच नहीं की जाकर नामांतकरण संख्या 180 तस्दीक किया गया। जिसकी अपील रेस्पोडेण्ट अकबरी व जमशीदा ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय में नामांतकरण संख्या 178 दिनांक 28.10.2010 निर्णय ग्राम पंचायत पिपरोली ने मृतक अर्जुन के समस्त विधिक वारिसान के नाम नामांतकरण दर्ज व तस्दीक किया गया एवं इसी प्रकार नामांतकरण संख्या 180 ग्राम पंचायत खिलोरा द्वारा मृतक अर्जुन के वारिसान के रूप में केवल नब्बा के पक्ष में दर्ज व तस्दीक किया गया जिसकी ग्राम पंचायत खिलोरा ने विधिवत जांच व सुनवाई नहीं की जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ द्वारा दिनांक 03.05.2012 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार रामगढ़ को पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया गया। उक्त आदेश पर तहसीलदार रामगढ़ द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए मृतक अर्जुन के विधिक वारिसान की जांच की जाकर दिनांक 09.05.2016 को आदेश पारित किया गया कि मृतक अर्जुन के वारिसान नब्बा पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/5, मकूली, नब्बी और हुस्सो पुत्रियान अर्जुन 3/5 व अकबरी पत्नी शादी व जमशीदा पुत्री शादी समभाग 1/5 के नाम अंकन किये जाने के आदेश पारित किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक अर्जुन के समस्त वारिसान की जांच की जाकर उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है। नब्बा ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर आराजी का बेचान किया गया वह गलत है। जहां क्रेता ने मुकदमे वाली संपत्ति में केवल अविभाजित हिस्सा खरीदा था, वह संपत्ति में विक्रेता के हिस्से से अधिक का मालिक नहीं हो सकता था और न ही वह पूरी संपत्ति के संबंध में कब्जे का दावा कर सकता था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील संख्या 4177/2024 GOLAM LALCHAND V/S NANDU LAL SHAW @ NAND LAL KESHRI @ NANDU LAL BAYES & ORS., AIR 2009 SUPREME COURT 2735, 2009 AIR SCW 4365 and Transfer of property Act Para no. 44. Transfer by one co-owner के द्वारा भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया, जो इस अपील में पूर्ण रूप से चस्पा होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2016 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होना पाया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2016 में इस न्यायालय को किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 09.05.2016 नामांतकरण संख्या 180 वाके ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ़ को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैराल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर